

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर  
क्रमांक:-एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/68737

जयपुर, दिनांक:- 31.10.2022

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	कक्षा	सत्र
1.	श्री चन्द्र प्रकाश जीनगर	जिला परि एवं स.क. अधिकारी	अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, चित्तौड़गढ़	M.A. Sociology / Final	2021-22
2.	श्री हर्षित कुमार पंचोली	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर	M.A. English Literature Previous	2021-22
3.	श्रीमती अनसुईया	छात्रावास अधीक्षिका	सहायक निदेशक, सान्याअवि, श्रीगंगानगर	Ph.D. (Geography)	2022-23
4.	श्री राजेश कुमार मीना	वरिष्ठ सहायक	निदेशालय, सान्याअवि	Diploma in Library and Information Science	2022-23
5.	श्री गोपाल लाल शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर	BLIS	2021-22
6.	श्री कुबेश्वर मीणा	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सराडा, उदयपुर	BLIS	2021-22
7.	श्री पवन कुमार कागट	कनिष्ठ सहायक	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, डेगाना, नागौर	B.Ed. (Distance Mode)	2022-23
8.	श्री तुलसी राम प्रजापति	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, सवाई माधोपुर	M.A. Geography / Previous	2022-23

शर्त:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(हरिमोहन मोना)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
जयपुर, दिनांक:- 31.10.2022

क्रमांक:-एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/68738-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
7. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.....।
8. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।
9. संयुक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)